सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जिला शिक्षा परियोजना समिति
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: गु0वि0–नि0पा0पु0 वितरण / 627 / 2012–13 दिनांक 15 मई, 2012

विषय: **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2012–13 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–बी / 1171–1396 / 2012–13 दिनांक 14 मई, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो शैक्षिक सत्र 2012–13 में राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति हेतु क्रयादेश निर्गत करने के संबंध में है।

तद्नुसार आपसे अनुरोध है कि तत्काल निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों को क्रय करने हेतु आदेश **दिनॉक 18 मई, 2012 तक** जारी करने का कष्ट करें, जिससे समय से विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हो सकें।

आप अवगत हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2012–13 में प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित परिषदीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 तक के समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा सभी वर्ग की बालिकाओं को निर्धारित निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जायेंगी।

उल्लेखनीय है कि उन्हीं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित करायी जायेंगी, जो निम्नवत् शर्तों की पूर्ति करते हों:–

- अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया परिषदीय / शासकीय विद्यालयों के समान होनी चाहिए।

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefaspo@gmail.com

- अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, छात्र–छात्राओं से किसी भी प्रकार का शुल्क न ले रहे हों।
- अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन सरकार से लिया गया हो।
- अध्यापकों की सेवा–शर्ते एवं उनका वेतन परिषदीय/शासकीय अध्यापकों के समान हों।
- विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम परिषदीय/शासकीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम के समान हो।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश निम्नवत् हैं:–

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता का आंकलन 30 सितम्बर, 2011 की कक्षावार छात्र संख्या के आधार पर करेगें।
2. उक्त छात्र संख्या जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति से अनुमोदित करायी जायेगी ।
3. अनुमोदित छात्र संख्या के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0,लखनऊ द्वारा सूचित अनुबन्धित मुद्रकों/प्रकाशकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों (हिन्दी एवं उर्दू) की आपूर्ति के क्रयादेश एक साथ निर्गत करेंगे एवं क्रयादेश की प्रति पाठ्यपुस्तक अधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
4. क्रयादेश निर्गत करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा कि गत वर्षों की बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 अथवा विद्यालय स्तर पर अवशेष पाठ्यपुस्तकों के उपयोग के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (बेसिक),उ0प्र0 के निर्देशों का पालन हो तथा आगामी सत्र हेतु तद्नुसार ही क्रयादेश निर्गत कराया जाय ताकि जनपद में पाठ्यपुस्तकें अवशेष न रहें।
5. मुद्रकों एवं प्रकाशकों से पाठयपुस्तकों की एफ0ओ0आर0 डेस्टिनेशन आपूर्ति जनपद मुख्यालय पर प्राप्त की जायेगी।
6. पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति दो किश्तों में प्राप्त की जायेगी। प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति दिनॉक 10 जून, 2012 तक तथा अवशेष 50 प्रतिशत पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति अन्तिम किश्त के रूप में दिनॉक 30 जून, 2012 तक प्राप्त कर ली जाये।
7. पाठ्यपुस्तकों के मानक शासनादेश संख्या 817–79–6–04–33(1)2002 दिनांक 07 अप्रैल, 2004 एवं शासनादेश संख्या 2500/79–6–04–33(1)/2002 दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 में निर्धारित किये गये हैं।
8. पाठ्यपुस्तकों की संख्या, आकार और निर्धारित मानक आदि के सत्यापन के लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन से एक समिति गठित की जायेगी जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एक उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट प्राचार्य द्वारा नामित एक वरिष्ठ प्रवक्ता तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित दो अन्य अधिकारी रखे जायेंगे।
9. जनपद में पाठ्यपुस्तकों को प्राप्त करने से पूर्व रिलीज कमेटी के हस्ताक्षरयुक्त नमूने की पुस्तक से मिलान कर लिया जाये तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति के समय इस बात की जांच अवश्य कर ली जाये कि पाठ्य पुस्तकों के आवरण पृष्ठ पर सर्व शिक्षा अभियान का "लोगो" एवं "निःशुल्क वितरण हेतु" अवश्य मुद्रित हो।

10. पाठ्यपुस्तकें दो किश्तों में प्राप्त होंगी। अतः शीघ्र वितरण सम्पन्न कराने के लिये किश्तवार प्राप्त पाठ्यपुस्तकों का जनपद स्तर पर गठित समिति से तीन दिनों के अन्दर सत्यापन कराकर पाठ्यपुस्तकें विद्यालयों को भेज दी जायें।

11. **निर्धारित समयावधि में कयादेश जारी न करने अथवा सत्यापन न करने के कारण पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति/वितरण में विलम्ब होने पर संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।**

12. सत्यापनोपरान्त पाठ्यपुस्तकें सम्बन्धित विकास खण्डों के खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से वितरण हेतु विकासखण्ड के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध करायी जायें। इस सम्पूर्ण कार्यवाही के सुचारू संचालन हेतु जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियमित समीक्षा की जायेगी।

13. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के सम्बन्ध में जनपद में प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये जिससे लाभार्थी बच्चे पाठ्यपुस्तकें बाजार से क्रय न करें। जुलाई, 2012 में विद्यालय प्रारम्भ होने के प्रथम दिवस से ही नामांकित होने वाले सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की स्पष्ट जानकारी दे दी जाये।

14. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण विद्यालय स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों/वार्ड शिक्षा समितियों की देख–रेख में किया जायेगा। विद्यालय स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के समय ग्राम प्रधान, ग्राम सभा के अन्य सदस्य सभासद, क्षेत्रीय विधायक, ब्लाक प्रमुख आदि को भी आमंत्रित किया जाये। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण के समय विद्यालय में ग्राम प्रधान/सभासद की उपस्थिति यथासंभव आवश्यक होगी।

15. खण्ड शिक्षा अधिकारी इस आशय की पुष्टि प्रत्येक लाभार्थी छात्र/छात्राओं से करेंगे कि उन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्राप्त हो गयी हैं। प्रत्येक विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का लेखा–जोखा पूर्व की भाँति एक पंजिका में रखा जायेगा। कक्षा–1 में जो छात्र/छात्राएं अपना नाम नहीं लिख सकते हैं उनकी पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति उनके अभिभावकों द्वारा की जायेगी और उनके द्वारा पुस्तक प्राप्ति हेतु हस्ताक्षर किये जायेंगे।

16. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति, भण्डारण एवं विद्यालयों को निर्गमन की सुरक्षित एवं सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाय। इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही अपेक्षित है:–

- जनपद स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के भण्डारण तथा अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाय।
- विकास खण्ड स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के भण्डारण तथा अभिलेखीय रख–रखाव के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं समन्वयक, ब्लाक संसाधन केन्द्र को उत्तरदायी बनाया जाय।
- विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक को पाठ्य पुस्तकों की मांग पंजिका, भण्डार पंजिका एवं वितरण पंजिका आदि अभिलेखों के रख–रखाव हेतु उत्तरदायी बनाया जाय।
- पाठ्य पुस्तकों की मांग, वितरण एवं समायोजन की विकास खण्डवार सूचना अभिलेखित कर जनपद स्तर पर रखी जाये ।
- ब्लाक संसाधन केन्द्र पर पाठ्य पुस्तकों की मांग, वितरण, अवशेष की विद्यालयवार सूची रखी जाय। वितरण के पश्चात् अवशेष बची पाठ्य पुस्तकों को ब्लाक संसाधन केन्द्र में सुरक्षित रूप से भण्डारित किया जाय। विद्यालय स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की मांग, प्राप्ति एवं वापसी की संख्या तथा वितरित पुस्तकों की छात्रवार प्रविष्टियां पंजिका में अंकित की जाय।

- विद्यालयों की मांग एवं वितरित पुस्तकों की संख्या का भौतिक सत्यापन अनिवार्यता प्रत्येक खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं एवं संसाधन केन्द्रों के सह–समन्वयकों से कराया जायेगा तथा जनपदीय अधिकारी स्वयं भौतिक रूप से सत्यापित 10 प्रतिशत विद्यालयों का रैण्डम सत्यापन करेंगे।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग, वितरण तथा अवशेष पुस्तकों के समायोजन से सम्बन्धित दिशा–निर्देश प्रत्येक दशा में विद्यालय स्तर तक प्रसारित किये जाय।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की संख्या एवं लाभार्थियों का विवरण मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 तथा राज्य परियोजना निदेशक को निम्नवत् निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगाः–

जनपद का नाम .... दिनाँक ....

क्र. स.	विकास खण्ड / नगर क्षेत्र का नाम	2012–13 की अनुमोदित छात्र संख्या के अनुसार वितरण हेतु वॉछित कुल पुस्तकों की संख्या		2011–12 में शत–प्रतिशत वितरण के पश्चात अवशेष पुस्तकों की संख्या		2011–12 की बची पुस्तकों को समायोजित करने के बाद 2012–13 में क्रयादेशित पुस्तकों की संख्या		2012–13 में आपूर्तित पुस्तकों की संख्या		2011–12 में वितरित पुस्तकों की संख्या		2012–13 मे शत–प्रतिशत वितरण के पश्चात अवशेष पुस्तकों की संख्या	
		एस. एस.ए.	राज्य सरकार	एस. एस. ए.	राज्य सरकार	एस. एस. ए.	राज्य सरकार	एस. एस. ए.	राज्य सरकार	एस. एस. ए.	राज्य सरकार	एस. एस. ए.	राज्य सरकार
1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	11	12	13	14

17. पाठ्य पुस्तकों के वितरण का कार्य निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित कराने हेतु जनपद के अन्य अधिकारियों की ड्यूटी पाठ्य पुस्तकों के वितरण की तिथि को लगायी जाये तथा इसका समन्वय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाये।
18. पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति के पश्चात भुगतान के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है:–
    - पाठ्यपुस्तकों का भुगतान जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति के अनुमोदन के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
    - पाठ्यपुस्तकों के नमूने, अनुबन्धित मुद्रकों/प्रकाशकों का विवरण, शर्तें तथा छूट की दरें शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप होंगी।
    - पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में यदि कमी पायी जाती है तो शिक्षा निदेशक (बेसिक)/जनपदीय सत्यापन समिति की संस्तुति के आधार पर कटौती की जायेगी।
    - पाठ्य पुस्तकों के निर्धारित मूल्य पर छूट शिक्षा निदेशक(बेसिक) द्वारा सूचित दर के आधार पर आगणित किया जायेगा तथा छूट की धनराशि को कम करने के उपरान्त शेष देय धनराशि का 50 प्रतिशत भुगतान जनपद मुख्यालय पर आपूर्ति प्राप्त होने एवं उनकी संख्या एवं गुणवत्ता का सत्यापन/जांच करने के पश्चात् किया जायेगा।
    - अवशेष 50 प्रतिशत भुगतान जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति की संस्तुति के आधार पर (यदि कटौतियां प्रस्तावित हैं तो उक्त को दृष्टिगत रखते हुए) सभी लाभार्थियों को वितरण के पश्चात मुद्रकों/प्रकाशकों को नियमानुसार कर दिया जायेगा। शत–प्रतिशत भुगतान से पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित

किया जाये कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अर्ह सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नियमानुसार वितरित की जा चुकी हैं।

- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की ढुलाई भाड़े का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दरों पर वास्तविक व्यय के अनुसार किया जायेगा।

भुगतान एवं बजट का विवरण निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगाः–

जनपद का नाम..........................

योजना / कक्षा	प्राप्त बजट 2012–13		भुगतान		अवशेष बजट		सत्यापन के उपरान्त कटौती के कारणों का विवरण / अभ्युक्ति
	सर्व शिक्षा अभियान	राज्य योजना	सर्व शिक्षा अभियान	राज्य योजना	सर्व शिक्षा अभियान	राज्य योजना	
1	2	3	4	5	6	7	8

आपसे अनुरोध है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार कार्य–योजना तैयार कराते हुए पाठ्यपुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं का वितरण समय से कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: गु0वि0/नि0पा0पु0/627/2012–13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव (बेसिक शिक्षा) शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), 18–पार्क रोड, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा, नवीउल्लाह रोड, लखनऊ।
6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, 3 प्राग नारायण रोड, कल्याण भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, अल्प संख्यक कल्याण विभाग, षष्ठम तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
8. श्रम आयुक्त, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
11. पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
12. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
13. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
14. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।
15. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद।

(अतुल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक